


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
राममणी ठाकुर बनाम प्रभुलाल
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 172/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>राममणी ठाकुर</u></p> <p>पिता श्री <u>प्रभुलाल धाकड़</u></p> <p>निवासी- <u>जयसिंहपुरा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>जयसिंहपुरा</u> <u>प.स. पालका</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>307, 308 (खालफ. 184)</u> <u>306 (खालफ. 10)</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> कुल रकबा <u>0.61 + 0.04 = 0.65</u> है 0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>जयसिंहपुरा (पालका)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>307, 308, 306</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> रकबा <u>0.65</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रुपये अक्षर <u>पाच सौ मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (जै नू देवल) सहायक कमिश्नर एच उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>